we have laid down certain guidelines. Where the standards appliced are over-strict or as a matter of fact, in the case of victimisation, we took into the matter and also asess the overall working as regards the effectiveness of the persons and those guidelines are quite clear.

चौधरी बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को निकाला गया है, उस की वजह यह दी गई है कि उनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल थी। आपने यह भी कहा है कि यह कम्पलसरी रिटायरमेन्ट नहीं है, बल्कि प्रीमिच्योर रिटायरमेन्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों रिटायरमेन्ट्स में क्या फर्क है ? इमर्जेन्सी के दौरान वे जिन आफिसर्ज के गलत आर्डर्ज को मानने के लिये तैयार नहीं थे, उन्होंने उन पर इन्टीग्रिटी डाउटफुल का इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया या उनको प्रीमच्योर रिटायरमेंट लेने के लिये मजबूर किया गया। मैं चाहता हूं कि सरकार इन लोगों के केसेज पर गौर करने के लिये कोई ऐसी कमेटी मुकर्रर करे, जो सारे केसेज को देख कर, उन को ठीक कर के, उन लोगों को बहाल करे।

SHRI S. D. PATIL: In the statement itself we have already said about the Committee; it is an independent committee which applies its mind with an objective test. This Committee is a Committee of responsible Secretaries and it is headed by the Cabinet Secretary.

MR. SPEAKER: Out of 5,477 cases, already 3,307 persons have been taken back.

SHRI S. D. PATIL: Yes, Sir. The cases of those whose cases are rejected on overall assessment of their working, not that we considered their integrity during Emergency; there was no question of judging their integrity during the Emergency but prior to that—if their integrity was doubtful and that had been noted in the CRs of those officers.

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने वाले नकली व्यक्ति

*595. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ नकली व्यक्ति झूठे प्रमाणपत्र पेश करके स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अधीन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रकार के झूठे मामलों की कुल संख्या क्या है और उनमें से कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The number of complaints received upto 28-2-1978 is 6745. After detailed investigation and consultation with State Governments, pension has been cancelled and recovery orders of payments already made in 433 cases. Criminal prosecution has been left to the State Governments to be undertaken in the light of facts and evidence available in each case. In 4744 cases, grant of pension has been suspended after preliminary examination. Detailed enquiries in consultation with the State Governments are in progress.

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : सर्व प्रथम मैं इस बात पर आपत्ति करूंगा कि सचिवालय द्वारा प्रिंटिंग मिस्टेक्स की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। हिन्दी के एजेन्डा के अन्तर्गत मेरा नाम गलत दिया गया है। भविष्य में ऐसी ब्लंडर नहीं होनी चाहिए।

यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । माननीय मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर आया है, उस से स्पष्ट दृष्टिकोण में यह बात आती है कि इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की तरफ से लगभग सवा लाख व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है और वे स्वतन्त्रता सेनानी के नाम पर यह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । मान्यवर इन को 6745 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं । मेरा इस विषय पर बहुत स्पष्ट मत है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय पर स्वयं जांच कराए । सवा लाख व्यक्तियों में से, जिन को स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पर पेंशन दी जा रही है, लगभग 50 प्रतिशत व्यक्ति बोगस हैं और पिछले अनेक वर्षों में हजारों, करोड़ों रुपये इस कोष में से पेंशन की शक्ल में वे लोग ले रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन लोगों के विरुद्ध विस्तृत जांच करा कर भविष्य में इन लोगों को पेंशन नहीं देगी और इन के विरुद्ध कड़े कदम उठाएगी ।

इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न और है । राज्य सरकारों द्वारा जो पेंशन योजना चल रही है ।

MR. SPEAKER: We are not concerned with State Governments.

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : इसी से सम्बन्धित यह प्रश्न है । क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकारों को आदेश देगी । यदि लोग केन्द्रीय सरकार से बोगस पेंशन प्राप्त कर सकते हैं तो राज्य सरकारों में तो इस से कई गुना लोगों को बोगस पेंशन दी जा रही है और कांग्रेस सरकार ने अपने कुछ लोगों को यह पेंशन दिलवाई है । इस के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पर जो पेंशन वितरित की गई है, उन लोगों की संख्या 1 लाख 25 हजार है, उस के बारे में मैं यह बता दूं कि यह संख्या 1 लाख 17 हजार है लेकिन माननीय सदस्य का कहना करीब करीब ठीक ही है । अब इन का जो यह कहना है कि बहुत सारे बोगस लोगों को यह पेंशन स्वीकृत हो गई है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और सब तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स और दूसरी एजेन्सियों से ये सारे आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं कि सन् 1942 में और 1932 में या इससे पहले कितने लोग जेल गये । वे हम स्वयं इस मामले से सीज्ड हैं । इस मामले की हम छानबीन कर रहे हैं । जो इंडिविजुअल कम्प्लेंट्स आती हैं उनकी भी हम तुरन्त छानबीन करते हैं । जिन के बारे में हमें शिकायतें मिलती हैं हम उनकी प्रारम्भिक जांच करके जहां पर प्राइमा फेसी केस बनता है तुरन्त पेंशन की अदायगी रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं और उसकी डिटेल्ड इनक्वायरी करते हैं और उसके बाद सबित हो जाने पर न केवल पेंशन को बन्द कर देते हैं बल्कि रिकवरी के लिए भी हम प्रोसीडिंग्ज करते हैं ।

राज्यों को भी हमने कहा है कि वे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज कर सकते हैं । यह सब एवीडेंस पर आधारित होता है ।

माननीय सदस्य जो समय लगता है उससे संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं कि और भी तेजी में काम क्यों नहीं हो रहा है । इस में हमारी दिक्कत यह है कि ज्यादा समय इसलिए लगता है कि राज्य सरकारों से भी ये मामले सम्बन्धित होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं उन से भी सम्बन्धित होते हैं और साथ ही साथ स्टाफ भी इतना नहीं है कि बहुत तेजी से हम कर पाएं । चूंकि मामला राज्यों से तथा दूसरों से भी सम्बन्धित है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम तेजी से काम करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या यह सत्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेंशन दी गई है वह केवल मात्र एम० एल० एज०,

एम० पीज० के द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के उपरान्त स्वीकार कर ली गई थी और उनको पेंशन दे दी गई थी ? क्या इसको भी ध्यान में रखा गया था कि जेल रिकार्ड को देखा जाए ? जहां बोगस सर्टिफिकेट के आधार पर दे दी गई है उनके विषय में सरकार क्या निर्णय करने जा रही है ।

मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैंने पूछा था कि क्या उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी क्योंकि इससे भयंकर अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता है जो कांग्रेसियों ने पिछले तीस वर्षों में जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करके किया है । इसका उत्तर आना चाहिये ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कुछ लोग जो जैनुइन हैं और जिन को आज तक स्वतंत्रता सेनानी होने के आधार पर पेंशन नहीं दी गई उनको तुरन्त पेंशन देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हम जब इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते है कि यह बोगस हैं तो हम न केवल पेंशन की अदायगी रोक देते हैं बल्कि हम उनको जो कुछ भी मिल चुका है पेंशन के रूप में उसकी वापसी के लिए भी प्रोसीडिंग्ज करते हैं। राज्य सरकारों को भी हम ने कह दिया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज उनके विरुद्ध करें। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता है कि हमने कठोर कार्रवाई नहीं की है ।

कों-प्रिजनर से सर्टिफिकेट लेने की बात भी कही गई है । छः महीने जेल की शर्त है फ्रीडम फाइटर पेंशन स्कीम के तहत । हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि बहुत सी जेलों के जो रिकार्ड हैं वे उपलब्ध नहीं है, बरबाद हो गए हैं । अब ये जो सर्टिफिकेट हैं ये एम एल एज, एक्स एम एल एज, एम एल सीज, एक्स एम एल सीज, एम पीज, एक्स एम पीज जो जेल में रहे और को-प्रिजनर थे, इस प्रकार के **को-प्रिजनर्ज** से लिए गए सर्टिफिकेट्स के आधार पर भी पेंशन स्वीकृत ई है । माननीय सदस्य का कहना सही है कि अनेक पेंशनें इसी आधार पर स्वीकृत की गई हैं । उनका कहना है कि इस में गड़बड़ी हुई है । मैंने नोट कर लिया है और हम ध्यान रखेंगे ।

उन्होंने जो यह कहा है कि सचमुच जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने त्याग और बलिदान किया है उनको नहीं मिल रही है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी कोई भी चीज या किसी व्यक्ति का नाम वह हमारे नोटिस में लाएंगे तो हम उस पर तुरन्त कार्रवाई करेंगे । जो हमारे पास अधिकार है डिले को कंटोन बगैरह करने के उनका हम बराबर ध्यान रखेंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद : पेंशन स्वीकृत करने का आधार जेल में रहना रहा है । दूसरे लोग जो जेलों में रहे उनके द्वारा प्रमाणित करने पर भी कुछ लोगों को पेंशन दी गई है। माननीय राजेन्द्र कुमार जैन ने ठीक कहा है कि कुछ लोगों को जन प्रतिनिधियों ने गलत दिलवा दी है । तो मैं जानना चाहता हूं कितने पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों ने गलत संस्तुति की ? क्या उनकी भी पेंशन समाप्त की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनिक लाल मण्डल : मैंने इसका जवाब दे दिया है । ऐसे आधार पर नहीं करते हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद : ऐसे जो पेंशन पाते है उनके द्वारा भी संस्तुति किये जाने पर, पेंशन पाने वाले अगर दो लोग संस्तुति कर देते हैं तो दूसरे लोगों को भी पेंशन मिल जाती थी । तो ऐसे लोगों ने जो गलत पेंशन के लिये संस्तुति की है उनकी भी पेंशन समाप्त की जानी चाहिये । मैंने पूछा था कि क्या ऐसा हुआ है ?

MR. SPEAKER: If you bring any such cases to the notice of the Minister, he ould enquire into the same

श्री किशनी प्रसाद : जहां तक मुझे मालूम है पेंशन देने का आधार मुख्यतः तीन प्रकार का रहा है । एक तो पुराने पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की संस्तुति पर, और दूसरा यह कि जो जेल में रहे 6 महीने या इससे अधिक, उनकी संस्तुति पर, और तीसरा आधार यह है कि जो एम० एल० ए०, एम० एल० सी० या एम० पी० रहे उनके द्वारा सिफारिश की गई हो पेंशन के लिये । तो मैं उस अवस्था की ही बात कर रहा हूं जो पेंशन पाते थे उनके द्वारा गलत संस्तुति हुई है । क्या ऐसे लोगों की भी पेंशन समाप्त करने की सरकार कार्यवाही कर रही है जिन्होंने गलत संस्तुति कर के लोगों को पेंशन दिलायी है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह निराधार है । पेंशन पाने वालों की संस्तुति पर पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती है ।

SHRI P. VENKATASUBBIAH: Mr. Speaker, Sir, six-months imprisonment has been made as a criterion for granting pension to freedom fighters. However, during the freedom struggle, there have been many instances where some freedom fighters were let off though they were charged under the same section. May I know from the Ministeds if such cases will be gone into thoroughly? In one case in Andhra Pradesh, the Sub-Collector used to let off all the freedom fighters, while under the same sections others were imprisoned elsewhere. If there are such cases, will the Government give them the same consideration as given to the freedom fighters who were imprisioned for six months or more?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: If there has been any discrimination in this matter and the hon. Members brings it to my notice, I will certainly take necessary action.

Import and re-export of Cement to Iran

*598. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of cement imports during 1977-78 in quantity and value and the sources of import, and the reasons which necessitated imports;

(b) whether it is a fact that more imports of cement are being planned for re-export to Iran; and

(c) if so, the circumstances under which this is being done and the advantages thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) A quantity of about 2.94 lakh tonnes of cement has been imported during 1977-78 from South Korea, Rumania and Poland at a landed cost of about Rs. 16.45 crores. Shortages in the supply of cement had developed in spite of a record production of 19.27 million tonnes during 1977-78 on account of higher demand for consumption for public works as well as for agriculture, industry and housing. Substantial quantities were also required to repair the cyclonic damages in Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

SHRI S. R. DAMANI: Sir, there is an acute shortage of cement and it is very difficult to obtain it. In view of that, may I know from the hon Minister if any annual survey is being made of the demand and supply of cement? If any such survey has been made, was it noticed that there will be a spurt in demand in the next year? Has any assessment been made of the likely demand in the next two years?

SHRI GEORGE FERNANDES: The kind of surveys that were required to be made were not made in the past and that seems to be the reason why the required capcity was not installed.